

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1037

रीवा दिनांक २-९-२१

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत इतिहास के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

इतिहास अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1.	रिक्त
	28(2) दो	1.	डॉ० अजय शंकर पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, शास० कन्या महाविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	डॉ० कविता परस्ते, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, शास० नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुंदार जिला-शहडोल (म०प्र०)
		2.	डॉ० महेन्द्र प्रसाद तिवारी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला-रीवा (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1.	डॉ० प्रभाकर सिंह, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)
		2.	डॉ० संतोष सिंह चौहान, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास० सजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० अजय शंकर पाण्डेय को इतिहास अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
- 2 आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
- 3 अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
- 4 संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- 5 संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
- 6 कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
- 7 निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रजिन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
- 8 कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)